न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोद कुमार,आर ए एस

राजस्व आवेदन संख्या – 94 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
1. सालख पुत्र रसीद 2. खानमोहम्मद पुत्र रहमान 3. हमीद पुत्र रहमान 4. सफियत पत्नी रहमान फौत जातियान मुसलमान निवासी धोबली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. मोहिब पुत्र रसीद 2. इमाम पुत्र सतार 3. खमीशा पुत्र सतार 4. जाकुब पुत्र सतार 5. जीया पुत्र सतार 6. तहिया पुत्र सतार 7. वाहिद पुत्र सतार जातियान मुसलमान निवासी धोबली तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया –गुडामामालानी 9. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक सडा 10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर गुडामालानी 11. तहसीलदार एव उपपजियक सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विशनोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 11 के पैरोकार सरकार उप0।
3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 24.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 7 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व सामलाती कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 130 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 12.9602 हैक्टयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 10.2015 हैक्टयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 7.0140 हैक्टयर, खसरा नम्बर 262/2 रकबा 0. 5259 हैक्टयर, मौजा [illegible] तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में आया हुआ है कि उक्त वादग्रस्त आ[illegible]सा, प्रार्थी सं. 2 से 4 का 1/4 संयुक्त हिस्सा, विप्रार्थी स[illegible] विप्रार्थी संख्या 2 से 7 प्रत्येक संयुक्त 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। तथा [illegible]स्व रेकर्ड में उपरोक्त [illegible]लग अलग हिस्से दर्ज है तथा मौके पर पक्षकारान की ढाणिया, टांके, चारा तथा मवेशियों के बाडे व सिंचाई के साधन इत्यादि बने हुए है परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

तार दखल अन्दाजी कर रहे है तथा बिना विधिवत बंटवाडा करवाये बेचान करने पर दा है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 130 कबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 12.9602 हैक्टयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 10.2015 हैक्टयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 7.0140 हैक्टयर, खसरा नम्बर 262/2 रकबा 0.5259 हैक्टयर, मौजा धोबली तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं कर ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने का हुक्म फरमावें

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 11 तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। तथा शेष विप्रार्थी सं. 1 से 10 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी की सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है तथा विवाद का मुख्य कारण खातेदारी जोत का विभाजन पारिवारिक समझौता के आधार पर निर्धारण नहीं की होने से उसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के किया जाना है। जहां प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा सलंग्नदस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल अथवा बैचान इत्यादि करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है, तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा धोबली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 130 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 12.9602 हैक्टयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 10.2015 हैक्टयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 7.0140 हैक्टयर, खसरा नम्बर 262/2 रकबा [illegible] हैक्टयर भूमि के संबंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप/दखलदांजी अथवा बैचान इत्या[illegible] नहीं [illegible] राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी